

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 19 अनुच्छेद हैं जिनमें ₹ 316.42 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में ₹ 1,27,307 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ थीं। सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व राशि ₹ 75,983 करोड़ में कर राजस्व ₹ 57,380 करोड़ तथा गैर कर राजस्व ₹ 18,603 करोड़ शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 61,890 करोड़ (विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 41,853 करोड़ एवं सहायता अनुदान ₹ 20,037 करोड़) थीं।

(अनुच्छेद 1.1)

इस कार्यालय द्वारा राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य उत्पाद शुल्क एवं खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग की लेखापरीक्षा की जाती है तथा लेखापरीक्षित इकाइयों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। दिसम्बर 2018 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 2,281 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 7,424 अनुच्छेद जून 2019 के अंत तक बकाया थे जिनमें ₹ 3,407.25 करोड़ अन्तर्निहित थे।

(अनुच्छेद 1.6)

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा अवगत करवाये जाने के उपरान्त कुल ₹ 87.01 करोड़ की वसूली की गयी।

(अनुच्छेद 1.10)

II. बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

कार्यालय द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की 162 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग के पास जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन की दिनांक के सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिये पंजीयन पूर्व स्टॉक पर आगत कर लाभ के अनियमित दावे की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- कुल 132 करदाता जिनका अवधि 2016-17 के दौरान सकल पण्यवर्त (Turnover) ₹ 25 करोड़ से अधिक था, वैट के अंतर्गत पंजीकृत थे, जिनमें से 70 करदाता अंतिम रूप से जीएसटी में स्थानांतरित नहीं हुए।

(अनुच्छेद 2.4.2)

- एसजीएसटी प्राधिकारियों द्वारा छः प्रकरणों में अनुमत राशि ₹ 1.70 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.21 करोड़ प्रतिदाय किये गये। इस प्रकार ₹ 0.51 करोड़ का त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय दिया

गया। सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं चार प्रकरणों में ₹ 0.41 करोड़ वसूल किये गये।

(अनुच्छेद 2.4.3.5)

- राज्य क्षेत्राधिकार के 123 करदाताओं की जांच में पाया गया कि 30.06.2017 को सम्बंधित विवरणियों में उपलब्ध अंतिम शेष के विरुद्ध 14 करदाताओं द्वारा अपनी TRAN-1 विवरणियों में ₹ 94.77 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का अधिक दावा किया गया तथा नौ करदाताओं द्वारा अपनी TRAN-1 विवरणियों में ₹ 128.47 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का अधिक दावा किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.4.3)

- लेखा परीक्षा में सीएसटी/वैट/प्रवेश कर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान कर/ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण, आगत कर का अनियमित लाभ दिये जाने एवं अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं होने के 58 प्रकरण देखे गये जिनमें ₹ 59.29 करोड़ शामिल थे।

(अनुच्छेद 2.5)

III. वाहनों पर कर

'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगोचर हुआ:

- पंजीयन हेतु आवेदन एक से सात वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये, नियमों में प्रावधानों के अभाव में पंजीयन प्रमाण पत्र 15 वर्ष तक वैधता के साथ जारी किये गये। इस प्रकार ये वाहन 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिये संचालित होंगे।

(अनुच्छेद 3.3.8.2)

- अप्रैल 2014 से मार्च 2019 के मध्य की अवधि के लिये 2,736 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 20.24 करोड़ के मोटर वाहन कर तथा विशेष पथकर का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3.9.1 व 3.5)

- 1,133 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 11.04 करोड़ के एकमुश्त कर का कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.3.9.3 व 3.4)

- पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने एवं बंधक समझौते (hypothecation agreement) के पृष्ठांकन हेतु संशोधित शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹ 70.87 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3.9.4 व 3.3.10.3)

- एमनेस्टी योजना के अंतर्गत 51 वाहनों को ₹ 38.32 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

(अनुच्छेद 3.3.9.5)

- 12 कार्यालयों में ₹ 13.23 करोड़ की लागत से स्वचालित ट्रेक्स का निर्माण किया गया किन्तु वे परिचालन में नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.3.10.1)

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मात्र 2.47 से 11.68 प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किये गये।

(अनुच्छेद 3.3.15.1)

- राज्य सड़क सुरक्षा नीति में राज्य में वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु को वर्ष 2015 के आधारभूत अंकों के 50 प्रतिशत तक कम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकट की गयी है। वर्ष 2018, 2019, व 2020 के लिये क्रमशः 15, 15, एवं 20 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु में मात्र 0.43, 0.62 एवं 1.80 प्रतिशत की ही कमी हुई।

(अनुच्छेद 3.3.18.2)

- वर्ष 2017-18 के दौरान हुई 8,964 दुर्घटनाओं में से 5,968 दुर्घटनाओं में (67 प्रतिशत) गैर-परिवहन वाहन संलिप्त थे, जिनमें से 93 प्रतिशत दुर्घटनायें स्वतंत्रताक वाहन चालन एवं वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुईं। अतः सड़क सुरक्षा के उद्देश्य हेतु नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 3.3.18.3)

IV. भू-राजस्व

कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 105 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। तीन इकाइयों (छः प्रकरणों) में अधिनियम/नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप गलत दरें लगाने से भूमि की कीमत एवं नियमितिकरण प्रभार कम लेने तथा कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनधिकृत उपयोग से सम्बंधित राशि ₹ 3.98 करोड़ की मुख्य अनियमिततायें पायीं गयीं।

(अनुच्छेद 4.4)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

कार्यालय द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 100 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। 23 इकाइयों, जहां कि 104 प्रकरणों में, कृषि/आवासीय/मैरिज गार्डन/वाणिज्यिक/संस्थानिक भूमियों को विक्रय पत्रों/किरायेनामों/उपहार पत्रों/स्नन पट्टों/बंधक पत्रों/हक त्याग पत्रों/विक्रय प्रमाण पत्रों के रूप में पंजीकृत किया गया था, में मुख्य अनियमिततायें पायीं गयीं। इसके मुख्य कारण चेक लिस्टों में सम्पूर्ण सूचना नहीं दिया जाना अथवा दस्तावेजों/संलग्न सहायक दस्तावेजों के विवरणों में बताये गये तथ्यों का 'ई-पंजीयन' में गलत इनपुट दिया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.82 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

VI. राज्य आबकारी

'राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन' की जांच में ज्ञात हुआ कि:

- विभाग द्वारा निर्धारित अनाज से अल्कोहल के उत्पादन (40 बी एल प्रति क्विंटल) तथा प्रासव के मापन के मानक सही नहीं हैं तथा इनमें आसवानियों (distillers) द्वारा अपनायी गयी किण्वन एवं आसवन (Fermentation and Distillation) कुशलता के अनुसार संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 6.4.7.1 व 6.4.7.2)

- ब्रेवरीज द्वारा माल्ट एवं अन्य कच्चे माल से बीयर उत्पादन के निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बीयर का कम उत्पादन हुआ।

(अनुच्छेद 6.4.7.3)

- वर्ष 2014-15 में मदिरा उपभोग 4830.45 बल्क लीटर से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 5726.23 बल्क लीटर हो गया। यह दर्शाता है कि विभाग मद्यसंयम नीति के अनुसार उचित जागरूकता का प्रसार नहीं कर सका।

(अनुच्छेद 6.4.9.1)

- जन जागरूकता अभियानों को उचित रूप से आयोजित नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2015-18 के दौरान आवंटित बजट का मात्र 53 प्रतिशत ही प्रसारण माध्यमों पर व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 6.4.9.1)

- 2015-18 के दौरान 228 अनुज्ञाधारियों के सम्बन्ध में आबकारी शुल्क की मासिक गारण्टी जमा कराने में राशि ₹ 6.05 करोड़ की कमी रही।

(अनुच्छेद 6.4.10.2)

- निर्धारित समयावधि में आवश्यक प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम विशेषाधिकार राशि जमा न कराये जाने के कारण 13 दुकानों/समूहों का चयन निरस्त किया जाना चाहिये था। सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही के अभाव में सरकार को ₹ 3.13 करोड़ के जमा अमानत राशि, प्रतिभूति जमा, अग्रिम विशेषाधिकार राशि, जिसे जब्त किया जाना चाहिये था, से वंचित रहना पड़ा।

(अनुच्छेद 6.4.11.1)

- परिधीय क्षेत्र की छः कम्पोजिट दुकानों/समूहों हेतु ₹ 56.50 लाख का कम्पोजिट शुल्क निर्धारित किया जाना था किन्तु सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इन अनुज्ञाधारियों से मात्र ₹ 13.33 लाख ही निर्धारित एवं वसूल किये गये। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 43.17 लाख की राजस्व हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.4.11.2)

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा राज्य आबकारी विभाग की 34 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं :

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के उल्लंघन में 249 अनुज्ञाधारियों ने 2017-18 के दौरान निर्धारित सीमा तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के उठाव में वृद्धि नहीं की। जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा कम्पोजिट शुल्क की गलत गणना एवं आरोपण के कारण ₹ 206.99 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.5)

VII. कर-इतर प्राप्तियां

‘प्रधान खनिजों से प्राप्तियां’ की लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि:

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज नीति 2015 के सन्दर्भ में किया गया सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण कार्य नगण्य है क्योंकि यह लक्षित वृद्धि 3,287.59 वर्ग किलोमीटर के विरुद्ध मात्र 19.89 वर्ग किलोमीटर (0.61 प्रतिशत) में ही किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.6.1)

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार खनन पट्टा क्षेत्रों में खनन गतिविधियाँ नहीं रोकੀ गयीं, जिसके परिणामस्वरूप 25 मई 2015 एवं मार्च 2019 के मध्य दो खानों से ₹ 2,937.42 करोड़ मूल्य का 2.41 करोड़ मीट्रिक टन खनिज लिग्नाइट निर्गमित किया गया जिसमें से 49 प्रतिशत (₹ 1,439.34 करोड़) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहायक को गया।

(अनुच्छेद 7.3.6.2)

- नमूनों के अपनी प्रयोगशाला में जाँच की विभागीय व्यवस्था के अभाव में आठ प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा 2015-16 से 2018-19 के मध्य विभाग के प्रधान खनिजों से कुल राजस्व का 63.09 से 76.98 प्रतिशत भुगतान उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित अयस्क/मिश्रण में धातु तत्व की प्रतिशतता के आधार पर किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 7.3.6.3)

- विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फण्ड के भुगतान के प्रावधानों के अभाव में 21 प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा DMFT फण्ड में राशि ₹ 36.96 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.7.1)

- विभाग द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) फण्ड में किये जाने वाले अंशदान के सही भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 22 प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा अवधि 2015-16 से 2017-18 के दौरान NMET फण्ड राशि ₹ 19.54 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.7.2)

- विभाग ने सरकार को देय रॉयल्टी एवं अन्य राशियों के 38 से 2,764 दिनों से विलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.16 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 7.3.7.3)

- दो चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड) स्वनन पट्टों के रॉयल्टी निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय सही क्लिंकर- चूना पत्थर अनुपात (Clinker-Limestone ratio) को प्रयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ की रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 7.3.7.4)

विभाग द्वारा रॉयल्टी संग्रहण ठेकों के त्रुटिपूर्ण संशोधन के कारण ₹ 1.97 करोड़ के रॉयल्टी एवं DMFT फण्ड की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

VIII. आर्थिक क्षेत्र की अनुपालना लेखापरीक्षा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)*, राजस्थान, जयपुर द्वारा बारह आर्थिक क्षेत्र विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा किया जाता है, जो आयुक्तों, उप सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कार्य करते हैं। इस भाग में इनमें से नौ विभागों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शामिल किया गया है चूंकि, ऊर्जा, पर्यटन, एवं उद्योग विभाग के लेखापरीक्षा आक्षेप राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल हैं।

आर्थिक क्षेत्र-II लेखापरीक्षा समूह# में 2018-19 के दौरान 256 इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु 1699 पार्टी दिवसों का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त एक विषयक लेखापरीक्षा हेतु 201 पार्टी दिवसों का उपयोग किया गया था। मार्च 2019 को आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नौ विभागों के विरुद्ध 2,680 निरीक्षण प्रतिवेदन (11,248 अनुच्छेद) बकाया थे।

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की कार्यप्रणाली

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (विभाग) की स्थापना वर्ष 1983 में समाज में वैज्ञानिक समझ के विकास एवं जनसमूह, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक-सामाजिक स्थिति एवं विज्ञान एवं तकनीक के लाभों का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से की गयी। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिये जनवरी से जून 2019 में लेखापरीक्षा की गयी। कार्यालय निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के साथ पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी।

- विभाग द्वारा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके क्योंकि आवंटित बजट का मात्र 45.65 प्रतिशत ही उपयोग किया गया, सेटकॉम डिजीज़न की विभिन्न परियोजनाओं

* दिनांक 18.05.2020 से पूर्ववर्ती 'कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)' के नाम को बदलकर कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) किया गया है।

दिनांक 18.05.2020 से पूर्ववर्ती आर्थिक क्षेत्र-II लेखापरीक्षा समूह के नाम को बदलकर ए.एम.जी.-II (कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)) किया गया है।

के लिये 2015-16 से 2018-19 की अवधि में राज्य योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित सम्पूर्ण बजट समर्पित कर दिया गया।

- विभाग द्वारा बायो-टेक्नोलॉजी नीति 2015 को छोड़कर कोई व्यापक नीति (दीर्घ अवधि/लघु अवधि) एवं दिशा निर्देशक सिद्धांत तैयार नहीं किये गये; तथा इस नीति के उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके।
- विभाग द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 2016-19 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित ₹ 29.93 करोड़ समर्पित कर दिये गये। इस प्रकार विभाग समाज में वैज्ञानिक समझ के विकास एवं विज्ञान एवं तकनीक के लाभों का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक-सामाजिक स्थिति के उत्थान के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 8.2)

लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग

लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग ने मूल्य वृद्धि क्लॉज के तहत उचित समायोजन सुनिश्चित किए बिना अंतिम बिल पारित किए, गलत थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्षों पर आधारित मूल्यवृद्धि दावों की गणना एवं भुगतान किये गये और वित्तीय बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि मानने की बजाए गलत तरीके से तकनीकी बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि माना जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अधिक भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 8.3)

लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामगढ़ पंचवारा से कंवरपुरा रोड़ पर गलत श्रृंखला में फ्लश कॉजवे (flush causeway) निर्माण पर ₹ 1.22 करोड़ का निष्फल व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप, बारिश के दौरान सड़क का 800 मीटर हिस्सा बह गया।

(अनुच्छेद 8.6)

लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के उल्लंघन में एक संवेदक को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान कार्य आदेश देने के एक सप्ताह के भीतर किया गया। तथापि, कार्य, कार्यादेश जारी करने के एक वर्ष के बाद शुरू किया गया था।

(अनुच्छेद 8.7)

